न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—380/2013/223 (2013/00008)

1. विजयसिंह पुत्र स्व0 श्री केशरसिंह,
2. कुशालसिंह पुत्र स्व0 श्री केशरसिंह,
3. त्रिलोक सिंह पुत्र स्व0 श्री केशरसिंह,
   जाति रावत, निवासी टाटगढ़, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. धर्मीचन्द पुत्र स्व0 श्री हगामीलाल महाजन, दस्तावेज लेखक, तहसील कम्पाउण्ड भीम, जिला राजसमन्द ।
2. कैलाशसिंह दत्तक पुत्र स्व0 नाथूसिंह,
3. धन्नासिंह पुत्र स्व0 हरीसिंह,
4. बिरदसिंह पुत्र स्व हरीसिंह,
5. चेनसिंह पुत्र स्व0 श्री मोटासिंह,
6. सुभानसिंह पुत्र स्व श्री मोटासिंह,
7. श्रीमती हंजा पत्नि स्व0 गिरधारीसिंह,
   सभी जाति रावत, निवासी खूटा की गड़ी, उप—तह0 टाडगढ़, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टाडगढ़ ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 31.7.2013 अंतर्गत राजस्व वद संख्या 67/2003.

उपस्थितः—

1. श्री दिलीपसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 8.
3. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—25.10.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2013 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 7/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा टाडगढ़, तहसील ब्यावर स्थित आराजी साबिक खसरा संख्या 2977 हाल नंबर 5223 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म बीड़ अवस्थित है । साबिक खसरा नंबर 2977 का कुील रकबा 30—14—00 बीघा था इसमें से खसरा

नंबर 5051/2 रकबा 15–07–00 व खसरा नंबर 5051/1 रकबा 11–09–10 व 5051/2 रकबा 03–17–10 बने है । खसरा नंबर 2977 से बने खसरा नंबर 5223 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.7. 1977 को प्रतिवादी संख्या 1 से वादी ने खरीद किया था तब से वादी इस पर काबिज काश्त चला आ रहा है । साबिक खसरा नंबर 1068 जिसके हाल खसरा नंबर 5051 रकबा 30–14–000 में से वादी ने 1/2 हिस्सा दिनांक 25.5.1976 को नाथूसिंह पुत्र रामसिंह दत्तक पुत्र गोदसिंह व हरीसिंह पुत्र रामसिंह से खरीद की थी तब से वादी व वादी के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार साबिक नंबर 2977 हाल नंबर 5051 रकबा 11–09–10 बीघा को वादी ने दिनांक 21.7.1980 को मोटा पुत्र टीला वगैरह से खरीद किया है और वादी को कब्जा करवा दिया जबकि खातेदार मोटा व पूरणसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 व 6 है । इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 2977 जिसके हाल नंबर 5051 रकबा 30–14–00 का 1/8 हिस्सा रकबा 3–17–10 बीघा जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 13.7.1977 को गिरधारी पुत्र उमसिंह ने वादी को बेचान कर वादी को कब्जा संभला दिया था । उक्त भूमियों के बाबत् खातेदारी वादी के पिता को सन् 1971 के सेटलमेंट में दे दी गई थी । सेटलमेंट के रिकार्ड की नकले नहीं दी जा रही है इसी कारण राजस्व अधिकारियों ने खसरा नंबर 5223 को सिवायचक लगा दिया है । अतः वादी कब्जा मुखालफना के सिद्धांत के आधार पर खातेदारी पाने का अधिकारी है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों एवं चरण संख्या 3 लगायत 6 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2013 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांटस अभिभाषकगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय वाद से संबंधित कोई तनकियात नहीं बनाई और बिना तनकियात कायम किये निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वादी ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त विवादित भूमियों के बाबत् सन् 1971 में सेटलमेंट की कार्यवाही चालू हुई थी और उक्त सेटलमेंट में विवादित भूमियों के बाबत् बेचानकर्ता के पिता का खातेदारी दे दी गई थी किन्तु उसका राजस्व रिकार्ड सेटलमेंट विभाग में है तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त रिकार्ड की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में वर्णित तथ्य वादपत्र से मेल नहीं खा रहे है । यदि ऐसा था तो अधी0न्याया0 को चाहिये था कि वे वदी को दुबारा सेर ाजस्व रिकार्ड जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे, को पेश करने का अवसर प्रदान करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । वादीगण ने बेचान पत्रों में अंकित व राजस्व रिकार्ड में अंकित तथ्यों को ही वादपत्र में शामिल किया है जससे वादी का वाद बखूबी सिद्ध था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्यों को

नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है । वादीगण/अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है इसी कारण अधी0न्याया0 ने वादी का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 2977 का कुल रकबा 63–01–00 बीघा है । साबिक खसरा नंबर 2977 से बने हाल खसरा नंबर 5051 रकबा 25–12–00 व हाल खसरा नंबर 5223 रकबा 06–17–00 बीघा बने है किन्तु वादीगण/ अपीलांटस ने अपने वाद पत्र में खसरा नंबर 5051 के बटा नंबर 5051/1 रकबा 11–09–00,खसरा नंबर 5051/1 रकबा 3–17–10 बीघा व खरा नंबर 5051/2 रकबा 15–07–00 बीघा कुल रकबा 30–14–00 बीघा होना दर्शाया है । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 2977 से बने खसरा नंबर 5051 का कुल रकबा 25–12–00 बीघा है किन्तु अपीलांटस/वादीगण द्वारा 5051 के बटा नंबर दर्शाये है तथा रकबा भी अधिक दर्शाया गया हैं। यह बटा नंबर कैसे बने व रकबा अधिक कैसे हुआ इस संबंध में वादीगण/अपीलांटस ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट के बाद राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा सिवाचक भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है । वादीगण/अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है इसी कारण विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है ।।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2013 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2013 यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर